150

संख्या– /XXXVI(3)/विधायी प्रकोष्ठ/2012–13

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड राज्य विधि आयोग,
डिफेन्स कालोनी,
देहरादून।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, विधायी प्रकोष्ठ — देहरादूनः दिनाँकः 21 मार्च, 2013

विषयः पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधि आयोग के पत्रांक 207/उ0रा0वि0आ0/2012–13 दिनॉक 14 फरवरी, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए उत्तराखण्ड राज्य विधि आयोग हेतु संलग्न अलोटमेंट आईडी संख्या S1303070395 दिनॉक 21 मार्च, 2013 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से कुल ₹ 40,000.00 मात्र (₹ चालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्त के साथ स्वीकृत करते हुए व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि हजार ₹ में)

कम संख्या	योजना/मानक मद	स्वीकृत धनराशि
01	09–विधुत देय	40
	कुल योग	40

(₹ चालीस हजार मात्र)

2. पूर्व माह के व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–08 में अंकित कर प्रतिमाह विलम्बतम 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जाय।
3. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देते हैं जिन मामलों में बजट मैनुवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
5. उक्त सभी मदो मे धनराशि का व्यय बजट प्राविधान की सीमाओं में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
6. धनराशि का उपयोग उसी निमित्त किया जाय, जिस प्रयोजन से इसे स्वीकृति दी गई है।

7. धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा सर्वप्रथम पुराने देयकों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8. शासनादेश संख्या–321/xxvii(1)/2012 दिनॉक 19 जून, 2012 मे दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. उक्तवत् स्वीकृत धनराशि के व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. उक्त पर होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2012–2013 में अनुदान संख्या 07, लेखाशीर्षक 2052–सचिवालय सामान्य सेवायें–00–आयोजनेत्तर–090–सचिवालय–15–राज्य विधि आयोग के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 204 NP/वित्त अनुभाग–05/2013 दिनॉक 18 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव।

संख्या –252/ XXXVI(3)/विधायी प्रकोष्ठ/2012–13/दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
02. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें (डाटा सेन्टर) लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
03. वित्त अनुभाग 5 उत्तराखण्ड शासन।
04. विभागीय आदेश पुस्तिका।
05. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव।